राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर

नोवेल कोरोना वायरस (कोविड–19) के संक्रमण से बचाव हेतु आवश्यक दिशा निर्देश

1. कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा समय – समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों को लोगों तक पहुचाने के लिए सत प्रतिशत प्रयास करते हुए योगदान करें।
2. जब तक बहुत आवश्यक न हो घर से बाहर न निकले लॉक डाउन का सत प्रतिशत पालन करें और यदि किसी अति आवश्यक कार्य से बाहर निकलना पड़े तो मास्क या मुँह में एक दम क्लीन कपड़ा बांधकर निकले साथ ही सोशल दूरी (कम से कम एक मीटर) बनाकर रखें तथा इस दौरान हाथों से चेहरे को बिलकुल न छुऐं और वापस घर आने पर पहले हाथों को साबुन से अच्छी तरह से कम से कम 20 सेंकड तक पानी से धोंयें तथा पहने हुए कपड़ों को भी बदलकर साफ कपड़े पहने।
3. सोशल मीडिया जैसे – व्हाट्सएप, फेसबुक इत्यादि पर कोरोना वायरस के लक्षण, बचाव इत्यादि से जुड़े हुए फेक संदेशों पर भरोसा न करें साथ ही दूसरों को भी जागरुक करें। केवल स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा जारी किये गये कोरोना वायरस के लक्षण एवं बचाव संबंधी निर्देशों का पालन करें।
4. भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लॉक डाउन के दौरान भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा गरीबों के लिए प्रदान की जा रही सुविधाओं जैसे – मुफ्त खाद्यान (गेहूँ, चावल, दाल) एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की जानकारी हितग्राहियों तक आवश्यक रुप से पहुँचायें जिससे इस मुश्किल घड़ी पर गरीबों की अधिक से अधिक मदद हो सके तथा इस संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।
5. सभी प्राध्यापक / सह–प्राध्यापक / सहायक प्राध्यापक विद्यार्थियों को लॉक डाउन के दौरान पढ़ाई से संबंधित आवश्यक मागदर्शन मोबाइल, ई–मेल, व्हाट्सएप, फेसबुक एवं अन्य इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से निरन्तर

Scanned by TapScanner

प्रदान करते रहें तथा संपर्क बनाये रखें। साथ ही विद्यार्थियों के यह मार्गदर्शन देवें कि उनसे जुड़े हुए आसपास के लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण, लक्षण एवं बचाव से संबंधित जानकारी प्रदान कर जागरुकता फैलाने में सहयोग करें।

6. मानवता की दृष्टि से सभी प्राध्यापकों/सह–प्राध्यापकों/सहायक प्राध्यापकों/अधिकारियों/कर्मचारियों से आग्रह करते हैं कि मुसीबत की इस घड़ी में आपके आसपास, पड़ोस में रहने वाले गरीबों की आवश्यक्तानुसार अधिक से अधिक सहायता करें जिससे इस महामारी में मानवता की सेवा जैसा धर्म का पालन हो सके।
7. अति आवश्यक अनुसंधान कार्यों को पूरा करने के लिए लॉक डाउन के दौरान छात्रावास में निवासरात् विद्यार्थियों की भोजन व्यवस्था, स्वास्थ्य एवं अन्य आवश्यक देखभाल हेतु छात्रावास अधीक्षक एवं संबंधित महाविद्यालय के अधिष्ठाता प्रतिदिन देखरेख सुनिश्चित करें।
8. विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत संचालित सभी 22 कृषि विज्ञान केन्द्रों को निर्देशित किया जाता है कि वे किसान मोबाइल संदेश (के.एम.एस.) के माध्यम से प्रदेश के पंजीकृत 15 लाख, गोद लिए हुए 9 हजार एवं टेक्नॉलाजी बैक स्टापिंग के 1.5 लाख किसानों को प्रतिदिन लॉक डाउन के दौरान भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा गरीबों के लिए प्रदान की जा रही सुविधाओं, कोरोना वायरस के संक्रमण से संबंधित समस्त जारी दिशा निर्देशों को उन तक पहुचाने का कार्य सुनिश्चित करें।
9. राजभवन द्वारा दिनांक 26.03.2020 को जारी पत्र के परिपालन में सभी कर्मचारियों/अधिकारियों से आग्रह है कि वे संकट की इस घड़ी में मुख्यमंत्री सहायता राहत कोष में अपना एक दिन का वेतन सहयोग राशि के रुप में दान करें।

कुलपति
रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर

Scanned by TapScanner